न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 163/2017 दायरा दिनांक : 01.12.2017

उनवान

भंवरलाल पुत्र श्री माधोलाल उम्र 70 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम सांगाहेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान् जिला कलेक्टर, झालावाड़

2— श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बच्चू लाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 16.11.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या —812/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट के खिलाफ एक

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम सांगाहेड़ा, तहसील खानपुर प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते की थी । उक्त वादग्रस्त आराजी में से वादी को दिनांक 30.06.1976 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 7/212 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 46/213 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 2 किता की 7 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम सांगाहेड़ा, तहसील खानपुर विधिवत एवं नियमानुसार आवंटित की गई तथा आराजी पर दखल दिया गया तब से ही आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है । आवंटन के पश्चात नायब तहसीलदार खानपुर ने दिनांक 09.10.1997 को को आवंटित आराजी को वादी के गैर खातेदार में दर्ज कर दी । आवंटन की दिनांक से आज तक लगातार वादी आराजी पर काबिज काश्त है । इसके सम्बन्ध में ग्राम के पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है लेकिन पटवारी की रिपोर्ट के बावजूद तहसीलदार खानपुर ने आराजी को वादी के खाते दर्ज नहीं किया । वादी ने दिनांक 20. 03.1987 को प्रीमियम राशि (लीज प्राईम) 97/–5 रूपये पेनेल्टी 25/– रूपये कुल 1000/– रूपये जमा करवा दिये इसके बावजूद भी वादी को आवंटित आराजी का खातेदार घोषित नहीं किया गया जबकि कानूनन वादी आवंटित आराजी का खातेदार टीनेन्ट है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचित किये बिना न्याय आपके द्वारा केम्प भगवानपुरा में वादी का वाद खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर वाद का निर्णय पारित नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेंट का भी

जवाब दावा लेना चाहिए था यदि जवाबदावा पेश नहीं करना चाहते थे तो उनको जवाब बन्द करना चाहिए था जो नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सूचित किये बिना न्याय आपके द्वारा केम्प भगवानपुरा में वादी का वाद खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से दावा खारिज किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में गैर खातेदारी से खातेदारीघोषणा के नियम लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में पृथक से है । गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अनुसार शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही की जा सकती है । नहरी किस्म की जमीन की खातेदारी नियमानुसार कीमत जमा कराने पर ही की जा सकती है तथा इसके लिए तहसीलदार के यहां निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर तहसीलदार द्वारा मौका जांच इत्यादि रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है । अतः अपीलांट की अपील में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.05.2017 के अनुसार अपीलांट नियमानुसार जमीन की कीमत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अनुसार जमा करा कर खातेदारी अधिकारों के लिए पृथक से कार्यवाही कर सकता है । अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मेंटेनेबल होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा